रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092022-238678
CG-DL-E-08092022-238678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944
No. 606] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय अभिलेखागार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर 2022

सा.का.नि. 685 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) अभिलेख सहायक निदेशक (परिरक्षण), वैज्ञानिक अधिकारी, सूक्ष्मछायाधिकारी, सहायक सूक्ष्मछायाधिकारी, ग्रेड-1 और सहायक रसायनज्ञ ग्रेड-1 राष्ट्रीय अभिलेखागार (समूह 'क' तथा समूह 'ख' के पदों की भर्ती) नियम, 1993 के पदों से हैं। (2) सहायक सूक्ष्मछायाधिकारी ग्रेड-2 और सहायक रसायनज्ञ ग्रेड-2, राष्ट्रीय अभिलेखागार (समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों की भर्ती) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार में समूह 'क' और समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

   (ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अभिलेख सहायक निदेशक(परिरक्षण)	1*(2022)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11(67700-208700/- रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे वैज्ञानिक अधिकारी और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) में चार वर्ष के पश्चात् अचयन कृत्यिक श्रेणी के रुप में छह वर्ष और जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे सूक्ष्मछायाधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और जो रेप्रोग्राफी

या डिजिटाइजेशन या अभिलेखों, पांडुलिपियों और अभिलेखागारों की देखभाल और संरक्षण में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलातापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:-** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 4. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें:** 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3 निदेशक या 3. उपसचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी	5* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8, (47600-151100 रुपए)। स्तर -9 (53100-167800 रुपए) चार वर्ष के पश्चात् अकृत्यिक चयन श्रेणी के रूप में	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:-** (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 2:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र या भौतिकशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कागज प्रौधोगिकी या इंजीनियरी में स्नातक (बी.ई/बी.टेक) अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायनशास्त्र या भौतिकशास्त्र में स्नातक डिग्री, और (ii) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था में अनुसंधान अथवा अध्यापन अथवा अभिलेखीय संग्रहण वाली संस्था में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौधोगिकी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संध लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे सहायक रसायनज्ञ जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो, और जो अभिलेखों, पांडुलिपियों और अभिलेखागोरों की देखभाल और संरक्षण में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) –

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संध राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था अथवा स्वायत या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी

क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) अथवा समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो, अथवा

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) अथवा समतुल पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो; और

ख) जिनके पास स्तंभ(7) के अंतर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिणिक अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष 2. उप सचिव या निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष 2. उप सचिव या निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पाकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सूक्ष्मछायाधिकारी	6* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -7 (44,900–142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)
प्रोन्नति – वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे सहायक सूक्ष्मछायाधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से भौतिकी या रसायन विज्ञान में स्नातक डिग्री हो और जो रेप्रोग्राफी से संबंधित क्षेत्र में चार सप्ताह का विशेष आंतरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपए) अथवा समतुल्य पद नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो :

आवश्यक :

(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकशास्त्र अथवा रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(ii) रेप्रोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव;

अथवा

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय अथवा संस्थान से भौतिकशास्त्र अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक डिग्री, और

(ii) रेप्रोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेप्रोग्राफी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र,

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कंम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौधोगिकी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र।

टिप्पण: 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक सूक्ष्म छायाधिकारी	15* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400–112400 रुपए)	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:-** (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 2:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकशास्त्र अथवा रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकशास्त्र अथवा रसानशास्त्र में स्नातक डिग्री और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से रेप्रोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** (I) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेप्रोग्राफी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौधोगिकी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

11
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19900-63200 रुपये) में ऐसे फोटो सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में अठारह वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान विषय के साथ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण की है और अभिलेखीय अध्ययन पीठ, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संचालित 'रेप्रोग्राफी में सर्टिफिकेट कोर्स' या रिप्रोग्राफी में चार सप्ताह का विशेष आंतरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविधालय अथवा संस्थान अथवा अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारीः क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष सेवा की है, और ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों। **टिप्पण: 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.सहायक रसायनज्ञ	7* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400–112400 रुपए)	चयन	30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:-** (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 2:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिकशास्त्र अथवा रसायनशास्त्र में स्नातक डिग्री अथवा कागज प्रौधोगिकी में डिप्लोमा **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौधोगिकी में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र । **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपये) में ऐसे परिरक्षण सहायक या प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में अठारह वर्ष नियमित सेवा की होः और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान के साथ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण की हो और अभिलेखीय अध्ययन पीठ, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संचालित अभिलेखों, पांडुलिपियों और अभिलेखागारों की देखभाल और संरक्षण में प्रमाण पत्र हो या उपर्युक्त उल्लिखित पाठयक्रम में सफलतापूर्वक चार सप्ताह का विशेष आंतरिक प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; और 3. अभिलेख उपनिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवयश्क नहीं है ।

[फा. सं. ए-5-10(1)/2014-स्थापना-1]

चन्दन सिन्हा, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(NATIONAL ARCHIVES OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2022

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (1) National Archives of India (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts) Rules, 1993 in so far as they relate to the posts of Assistant Director of Archives (Preservation), Scientific Officer, Microphotographist, Assistant Microphotographist Grade-I and Assistant Chemist Grade-I. (2) National Archives of India (Recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts) Rules, 2001 in so far as they relate to the posts of Assistant Chemist Grade-II and Assistant Microphotographist Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'A' and Group 'B' posts in the National Archives of India, Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement – (1)** These rules may be called the National Archives of India, (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix –** The number of post, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification –** No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax –** Where the Central is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving -** Noting in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age- limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director of Archives (Preservation)	1*(2022) *subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700/-).	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Scientific Officer in level-8 (Rs.47600-151100) and level-9 (Rs.53100-167800) as Non-Selection functional Grade after four years in	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

the pay matrix with six years' regular service in the grade and Microphotographist in Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with seven years' regular service in the grade; and having successfully completed four weeks training in reprography or digitisation or care and conservation of records, manuscripts and archives. **Note:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Director General, National Archives of India –Member; 3.Joint Secretary, Ministry of Culture - Member; and 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Director General, National Archives of India -Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Culture- -Member; and 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture -Member.	

(1)	(2)	(3)
2. Scientific Officer	5* (2022) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial.

(4)	(5)	(6)
Level-8 (Rs. 47600-151100/-). Level-9 (Rs. 53100-167800/-) as Non Functional Selection Grade after four years	Selection.	Not exceeding thirty years. **Note 1:** (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory Administration of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)
Essential: (A). (i) Master's degree in Chemistry or Physics or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Paper Technology from a recognised University; OR (B). (i) Bachelor's degree in Chemistry or Physics from a recognised University or Institute; and	No

(ii) Three years' experience of research or teaching in a recognised educational institution or working in an Institution holding archival collections. **Desirable:** (i) Diploma or certificate in Computer applications or information technology from a recognised institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	75% by promotion failing which by deputation including short-term contract; 25% by direct recruitment.	**Promotion**: Assistant Chemist in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with six years' regular service in the grade; and having successfully completed four weeks training in care and conservation of records, manuscripts and archives. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract)**: Officers under the Central Governments or State Governments or Union Territory administration or public sector undertaking or recognised university or recognised research institution or Autonomous or statutory organisation. a) i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-7(Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or iii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-6(Rs.35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

		in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: 1. Director General, National Archives of India - Chairman 2. Deputy Secretary or Director , Ministry of Culture - Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director General, National Archives of India - Chairman 2. Deputy Secretary or Director, Ministry of Culture - Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Microphotographist	6* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Gazetted Non-Ministerial.	Level-7(Rs. 44900-142400/-).	Selection	Not applicable

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion failing which by Deputation including short-term contract.	**Promotion:** Assistant Microphotographist in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade; and possessing Bachelor's Degree in Physics or Chemistry from a recognised University or Institute; and having successfully completed four weeks special internal training in relevant field in reprography. **Note:** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next

		higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or statutory organisation or Public Sector undertaking or recognised university or recognised research institution: a) i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR ii) with five years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (A) (i) Master's Degree in physics or chemistry from a recognised university or institute; and (ii) One year experience in reprography; OR (B)(i) Bachelor's Degree in physics or chemistry from a recognised university or institute; and (ii) Three years' experience in reprography. **Desirable:** (I) Diploma or certificate in reprography from a recognised institute. (II) Diploma or certificate in computer applications or information technology from a recognised institute. **NOTE:1** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **NOTE:2** period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. **NOTE: 3** The Maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date or receipt of applications.

(12)	(13)
Group'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director General, National Archives of India – Chairman 2.Director or Deputy Secretary , Ministry of Culture – Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Microphotographist.	15*(2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-).	Selection	Not exceeding thirty years. **Note:1** (Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:2** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory Administration of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)
Essential: (A). (i) Master's Degree in Physics or Chemistry from a recognised University or Institute; OR (B) (i) Bachelor's Degree in Physics or Chemistry from a recognised University or Institute; and (ii) Two years' experience in Reprography from a recognised institution. **Desirable:** (i) Diploma or certificate in reprography from a recognised institution. (ii) Diploma or certificate in computer applications or information technology from a recognised institute. **NOTE 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:** the qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, In case of candidates belonging to scheduled castes or Scheduled tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No.

(9)	(10)	(11)
Two years.	25% by promotion failing which by deputation including short term contract, 75% by direct recruitment.	**Promotion**: Photo Assistant in level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix with eighteen years regular service in the grade; and possessing 12th passed with science from a recognised board or institute; and having 'certificate course in reprography' conducted by the School of Archival Studies, National Archives of India or have successfully completed special internal training in Reprography. **NOTE:** Where juniors who have completed their qualifying or Eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or Two Years, Whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Institute or Research Institution: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) With six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column No.7. **NOTE: 1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **NOTE: 2.** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **NOTE: 3** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group B Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of: 1. Director General, National Archives of India - Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture - Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member. **Group B Departmental Confirmation Committees(for considering confirmation) consisting of:** 1. Director General, National Archives of India - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture - Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.Assistant Chemist.	7*(2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-).	Selection.	Not exceeding thirty years. Note:1(Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:2 The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya , Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory Administration of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

(7)	(8)
Essential: Bachelor's degree in Chemistry or Physics or Diploma in Paper technology from a recognised university or institute. **Desirable:** Diploma or Certificate in Computer Applications or Information Technology from a recognised institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in Writing, In case of candidates otherwise well qualified.	No

(9)	(10)	(11)
Two years	25% by promotion., 75% by direct recruitment	**Promotion**: Preservation Assistant or Laboratory Assistant in the level-3 (Rs. 21700-69100/-) in the pay matrix with eighteen years regular service in the grade; and possessing 12th pass with science from a recognised board or institute; and having certificate in 'care and conservation of records, Manuscripts, and Archives' conducted by School of Archival Studies, National Archives of India or successfully completed special internal training on the above mentioned course. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or Eligibility service.

12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director General, National Archives of India -Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture -Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director General, National Archives of India - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Culture - Member; and 3. Deputy Director of Archives, National Archives of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-5-10(1)/2014 Estt.I]

CHANDAN SINHA, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.08 22:35:41 +05'30'